न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.

ंमांक विविध प्रकरण GCMS NO 2022/246

दायरा तिथि : 08.07.2022

आदेश तिथि : 20-09-2022

प्रार्थी :–

श्रीमती सीमा मीणा पुत्री श्री केशंती मीणा

निवासी 83/181, प्रतापनगर, सांगानेर जयपुर हाल बिसलपुर

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये

(भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत राजकीय भूमि मे से रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक 20-09-2022

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम 68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1248 रकबा 1.2800 हैक्टर किस्म बारानी सोयम मे आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा बिसलपुर के खसरा नंबर 1248/2460 रकबा 0.3100 हैक्टर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित मार्ग से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02-03-2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जरिये पत्रांक : राजस्व/2022/2481 दिनांक 29.08.2022 से रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश की।

तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि ग्राम बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1248 रकवा 1.2800 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि श्रीमती सीमा मीणा पुत्री श्री केशंती मीणा निवासी 83/181, प्रतापनगर, सांगानेर जयपुर के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है।

प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1248 के आगे खसरा नंबर 1248/2460 किस्म बा.सो. भूमि है जो रास्ते हेतु प्रस्तावित है एवं इसके बीच में खसरा नंबर 1174 किस्म गै.मु. वाला है एवं उसके आगे खसरा नंबर 1165 किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हैं। प्रार्थीनी के द्वारा कृषि भूमि में आने जाने हेतु खसरा नंबर 1174 किस्म गै.मु.वाला की भूमि में पक्का पुलिया का निर्माण किया गया है। प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ते का विकल्प नहीं है।

2. रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	1248/2460	0.31	बा.सो.	9.15 X 60 = 549 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक भूमि

3. यह है कि प्रस्तावित भूमि ग्राम बिसलपुर की डी.एल.सी.दर 266112/– रूपये प्रति हैक्टर है ।
4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि मे कोई भी वृक्ष या पक्का निर्माण इत्यादि नही है। अतः अन्य कोई भी क्षति नही होगी तथा प्रस्तावित रास्ते के क्षैत्रफल मे से अन्य क्षति यथा वृक्ष, पक्का निर्माण कार्य इत्यादि नही है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि राजस्थान काश्तकारी अधिकतम 1955 की धारा 251ए (1) (ख) (ii) के तहत रास्ता बावत प्रकरण में अधिकतम 30 फीट चौडा रास्ता दिये जाने का ही प्रावधान है।

पेज लगातार––2

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/246

अनवान सीमा मीणा बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियमम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात यह जाहिर है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है, तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त कोई विकल्प मौजूद नहीं हैं। अतः तहसीलदार बाली के कार्यालय तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जरिये पत्रांक : राजस्व/2022/2481 दिनांक 29.08.2022 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक :प.3(52)राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1248 रकबा 1.2800 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में आवागमन हेतु राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा बिसलपुर के खसरा नंबर 1248/2460 रकबा 0.3100 हैक्टर मे से **9 X 60 = 540 वर्गमीटर** रास्ता नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप रास्ता उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर)	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि बिसलपुर डी.एल.सी. दर 266112/– प्रति हैक्टेयर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1248/2460	0.31	9 X 60 = 540 वर्गमीटर	26.61	14370 X2=28740	राजकीय सिवायचक भूमि

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार 28740/– **(अक्षरे अठाईस हजार सात सौ चालीस रूपये मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राज्य कोष मे जमा कराये जावेंगे। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धार्यगुडे स्नेहला नाना)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक : 20-09-2022

पत्रांक : कोर्ट/2022/3479-83

प्रतिलिपि पालनार्थ :–

1. तहसीलदार बाली
2. भू.अ.निरीक्षक बिसलपुर
3. पटवारी हल्का बिसलपुर
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्रीमती सीमा मीणा पुत्री श्री केशंती मीणा निवासी 83/181, प्रतापनगर, सांगानेर जयपुर हाल बिसलपुर को सूचनार्थ प्रेषित हैं।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner